

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुड़गाँव(एन0सी0आर0)।
3. सभी अधिकारी, मुख्यालय।
4. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
5. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद व पानीपत।
9. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
10. सभी ब्रान्च इन्चार्ज।
11. I.T. cell

क्रमांक: स्था0/01/2016/1311-1420

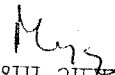
दिनांक: 12-1-16

Subject:-

Minutes of the meeting to review the departmental activities/performance of the Labour Department held on 05.01.2016 at 10.00 AM under the chairmanship of Smt. Shashi Gulati, IAS, Addl. Chief Secretary to Govt., Haryana

उपरोक्त विषय के सदर्थ में।

विषय संबंध में मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूँ कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2016 को हुई विभागीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति (CM Window) से प्राप्त शिकायतों का निपटाना 5 कार्यदिवस में निपटाये। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर कोई देरी हुई तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।